

लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

3/18

तारीखरजू:-09.08.2018

उनवान:- राजेश कुमार बनाम मदनलाल वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जाकिर खॉन हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में विघ्न बाधा उत्पन्न व शांति पूर्वक फसल नहीं करने पर आमदा हो रहे हैं। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 10.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख०न० 860 रकवा 0.70 है०, ग्राम भैसीना तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि में प्रार्थी के जमाबन्दी अनुसार हिस्से में मौके की कब्जे काश्त की भूमि पर यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन वावत निर्णय किया जावेगा।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार टोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेंट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.09.2018 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

2800-02
9/8/18

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

17.12.18

वकुलाय उप०। गतानुसार दिनांक 27.1.19 को पेश

हो।

27.1.19

इस प्रारंभ

28.1.19

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन
रखा गया है। पीठासन अधिकारी...
है। गतानुसार दिनांक... को पेश हो।

28.1.19

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन
रखा गया है। पीठासन अधिकारी...
है। गतानुसार दिनांक... को पेश हो।

27.3.19

वकुलाय उप०। गतानुसार दिनांक 25.4.19 को पेश हो।

25.4.19

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी...
की पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक... को पेश हो।

13.6.19

वकुलाय उप०। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल दस्तावेज
स्वीकार होकर डिफ़ी हो चुका है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा को श्रावण चलाये रखना का कोई भी
औपचारिक नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेध
इसी स्तर पर स्प्रारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैलान
शुभार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली
के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)